मणपिुर में होने वाली ‘अतरिकि्त न्यायकि हत्याओं’ की जाँच

संदर्भ

उल्लेखनीय है कि विवादित ‘सशस्त्र बल (वशिष शक्तयिाँ) अधनियिम’ के तहत अशांत क्षेत्रों में सुरक्षा और सशस्त्र बलों को प्राप्त वशिषाधकिारों पर प्रहार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को वद्रिोह के दौरान उत्तर-पूर्वी राज्य मणपिुर में पुलसिकर्मयिों और सशस्त्र बलों द्वारा की गई 80 नागरकिों की हत्याओं की जाँच करने का आदेश दयिा है|

प्रमुख बदिु

- अपने नरि्णय में न्यायाधीश मदन.बी लोकुर और यू.यू ललति की खंडपीठ ने केंद्र के इस तर्क को खारजि कर दयिा कि सशस्त्र बलों द्वारा कयि गए ये अपराध उचति हैं और उनकी जाँच करने की कोई आवश्यकता नहीं है|
- सरकार ने न्यायालय को यह आश्वासन दयिा कि पीड़तिों के परविारों को उनके परविार के सदस्यों को खोने पर मुआवज़ा दे दयिा गया था|
- सरकार ने स्पष्टीकरण दयिा कि मणिपुर की पुलसि ने इस प्रकार की हत्याओं की जाँच करने में लापरवाही बरती है तथा इसके लयि सरकार ने इस संवेदनशील राज्य के स्थानीय दबाव और सतही परस्थितियिों को ही ज़मि्मेदार ठहराया| सरकार के अनुसार, ये फर्ज़ी मुठभेड़ों के मामले काफी पुराने हैं|

न्यायालय की प्रतक्रियिा

- यदि कोई ऐसा अपराध कयिा गया है, जसिमें ऐसे व्यक्ति की मौत हुई हो, जो नरि्दोष हो तो इसे अवश्य ही संज्ञान में लयिा जाएगा|
- पीड़तिों के माता-पिता और परविार के सदस्यों ने 1,528 हत्याओं के लयि न्यायालय से जवाब-तलब कयिा है| इन हत्याओं को ‘अतरिकि्त न्यायकि हत्याएँ’(extra-judicial killings) कहा गया है| अतरिकि्त न्यायकि हत्याएं उन हत्याओं को कहा जाता है जो कथति तौर पर पुलसि और केंद्र के सशस्त्र बलों की पोशाक में सामान्य कर्मचारयिों द्वारा की जाती हैं|
- सेना प्रमुखों के आज्ञापत्रों में भी इस सद्धिांत को स्वीकार कयिा गया है कि वर्दीधारी कर्मयिों द्वारा अत्यधकि बल अथवा जवाबी बल के परणिामस्वरूप होने वाली हत्याओं की पूर्ण जाँच होनी आवश्यक है|
- यदि मणिपुर में कानून का उल्लंघन होता है तो केंद्र को आगे कदम उठाना होगा| क्योंकि राज्य इस संबंध में कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहा है तथा समय को नष्ट कर रहा है| यह इस समय का उपयोग इन मामलों की जाँच करने में कर सकता है|
- न्यायालय पीड़तिों और जीवन व संपत्ति को खोने वाले व्यथति परविारों की याचकिाओं को नज़रंदाज़ नहीं कर सकता है| न्यायालय का कहना था कि मुआवज़े की छोटी राशि मारे गए लोगों के परविारों के कष्टों का नविारण करने के लयि पर्याप्त नहीं है|
- अब तक मणपिुर के पुलसिकर्मयिों के वरिुद्ध कोई भी एफआईआर दरज क्यों नहीं की गई थी? हालयिा परस्थितियिों में यह उचति नहीं होगा कि हिम भेदभाव रहति जाँच के लयि मणपिुर पुलसि पर नरि्भर हो जाएँ| यदि सीबीआई इन फरजी मुठभेड़ों और अत्यधकि अथवा जवाबी बलों के उपयोग की जाँच करती है तो यह नशि्चति ही एक अच्छा कदम होगा|
- पीठ ने सीबीआई के नदिेशक को पाँच अधकिारयिों के एक समूह की नयिुक्ति करने का आदेश दयिा है| यह समूह मामलों ,आवश्यक सूचनाओं का रकिॉर्ड रखेगा तथा 31 दसिम्बर 2017 तक अपनी जाँच को पूरा करेगा| इसके अतरिकि्त जहाँ आवश्यक हो वहाँ यह समूह चार्जशीट भी तैयार करेगा|
- न्यायालय ने सीबीआई प्रमुख को दो सप्ताह के अंदर न्यायालय को जाँच की सूचना देने का आदेश दयिा है|

अफस्पा क्या है?

- संसद ने अफस्पा को वर्ष 1958 में अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को वशिष शक्तयिाँ देने के उद्देश्य से लागू कयिा था| इस अधनियिम के तहत सेना के अधकिारयिों और जवानों को अशांत क्षेत्रों में उनके द्वारा कयि जाने वाले कार्यों के लयि क़ानूनी संरक्षण प्राप्त है|
- इस अधनियिम के अंतर्गत, भारतीय सशस्त्र बल का कसिी भी सदस्य पर अशांत क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का नरि्वहन करते हुए कसिी भी प्रकार की क़ानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती|
- वर्तमान में अफस्पा असम, जम्मू एवं कश्मीर, नागालैंड,मणपिुर(इम्फाल के नगरपालकिा क्षेत्र को छोड़कर),अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में लागू है|

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/probe-extra-judicial-killings-in-manipur-sc-tells-cbi